प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण
का
द्विवर्षीय पाठ्यक्रम आधारित नोट्स

Year : 2nd
Paper : I
Subject : ETS

Compiled & Edited by **Mrs. Suman Minj**

PRIMARY TEACHERS EDUCATION COLLEGE

Gurwa, P. O.- Sitagarha, Dist. – Hazaribag -825 303, Jharkhand, INDIA

(A Jesuit Christian Minority Institution)

Recognized by ERC, NCTE vide order No. BR-E/E- 2/96/2799(12) dt 11.02.1997

Phone No. 06546-222455, Email: ptecgurwa1997@rediffmail.com Website: www.ptecgurwa.org

PTEC GURWA, SITAGARHA, HAZARIBAG

अनुक्रमणिका

द्वितीय वर्ष

नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा एवं शिक्षक

इकाई 5 – शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति

- भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी नीति
- समाजवाद, प्रजातंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता के राष्ट्रीय लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य
- प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परिचय
- 1986, 1992 एवं विद्यालय शिक्षा के नये पाठ्यक्रम का ढाँचा 2006 के मुख्य बिंदु

इकाई 6 – झारखण्ड में प्राथमिक शिक्षा

- झारखण्ड में शिक्षा एवं साक्षरता की स्थिति
- प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में उत्पन्न समस्याएँ एवं सरकार तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयास एवं सुझाव
- शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के तरीके, सरकार द्वारा किए गए प्रयास एवं सुझाव

PTEC GURWA, STAGARHA, HAZARIBAG

इकाई – 5

शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति

PTEC GURWA, SITAGARHA, HAZARIBAG

भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी नीति

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया है। संविधान में अनेक उपबंध/प्रावधन है, जिनका भारतीय शिक्षा के विकास से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। वास्तव में जिन सिद्धांतों पर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है, वे हमारे संविधान में ही नीहित है।

भारतीय संविधान की उद्देशिका में समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय एवं अवसर की समता प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है।

1. शैक्षिक अवसर की समता :

अनुच्छेद 29 (2) : राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद 45 : ''राज्य इस संविधान के प्रांरभ से 10 वर्ष की अवधि में सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रयास करेगा।''

अनुच्छेद '46' : राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों की शिक्षा, विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। (रक्षा करेगा) तथा सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा।

2. अल्प संख्यक वर्गों को शैक्षिक सुरक्षा :

अनुच्छेद 30 (1) : धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 30 (2) : शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शैक्षिक संस्था के विरूद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है।

3. भाषा संबंधी नीति :

अनुच्छेद 29 (1) : भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासियों के किसी वर्ग को अपनी भाषा लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 350 (क) : प्रत्येक राज्य और प्रत्येक पदाधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृ भाषा में शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद 343 : देवनागरी लिपि में हिन्दी की संघ की राजभाषा होगी और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा।

अनुच्छेद 351 : हिन्दी भाषा का प्रसार, विकास एवं वृद्धि करना संघ का कर्त्तव्य होगा। जिससे यह भारत की सामाजिक संस्कृति के विभिन्न तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और अष्टम अनुसूची में उल्लेखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए तथा जहाँ तक आवश्यक एवं वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द–भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए इसका विकास सुनिश्चित करना संघ का कर्त्तव्य होगा।

PTEC GURWA, SITAMARHA, HAZARIBAG

4. शिक्षा समवर्ती सूची का विषय :

भारतीय संविधान में समस्त विषयों को तीन सूचियों में विभक्त किया गया है। पहली सूची में वे सारे विषय आ जाती है। जिनपर कार्य करने का अधिकार एवं उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है। इस सूची के अंतर्गत 97 विषयों का उल्लेख किया गया है।

क. संघ सूची

ख. राज्य सूची

दूसरे सूची में वे सारे विषय दिए गए है जिनपर 0 राज्यों के अधिकार है इन विषयों की कुल संख्या 66 है।

ग. समवर्ती सूची : इसमें उन सभी विषयों का उल्लेख है जिनके संबंध में केन्द्र तथा राज्य सरकारे दोनों कार्य कर सकती है।

शिक्षा मुख्य रूप में 1976 से पहले राज्यों के अधिकार में थी। 1976 में यह अनुभव किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र मे जिस मात्रा में शिक्षा का विकास किया जाना था वह नहीं हो पाया अतः शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया ताकि केन्द्र भी इस संदर्भ मे अपनी भूमिका जोरदार तरीके से निभा सके।

शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का अर्थ है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें दोनों इस क्षेत्र में नीतियाँ निर्धारित कर सकती है। इसके अनुसार शिक्षा के परिमाणात्मक तथा गुणात्मक विकास में वांछित कार्य कर सकती है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है। कि यदि किसी नीति के कार्यान्वयन में कोई मतभेद होता है तो केन्द्रीय सरकार का निर्णय सर्वोपरी होगा।

PTEC GURWA, SITAGARHA, HAZARIBAG

समाजवाद

अर्थ : समाज के समाजवादी ढाँचे का अर्थ उस ढाँचे से है जो समाजवाद के सिद्धांतों तथा मूल्यों पर आधारित रहता है।

समाजवाद शब्द "Socium" से लिया गया है, जिसका अर्थ समाज अर्थात् सोसाइटी से है। इसलिए कहा जा सकता है। कि समाज वाद का उद्देश्य, समाज के सुधार से अथवा आर्थिक असमानताओं को दूर करने से है। समाजवाद मनुष्यों और बालकों का शोषण जो खेतों में, कारखानों में, खानों में हो रहा है उसके विरूद्ध विद्रोह है। समाजवाद की आधारभूत धारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति सामर्थ्य के अनुसार कार्य करे और प्रत्येक को उसके कार्य एवं गुण के अनुसार पारिश्रमिक मिले।

परिभाषाएँ :

1. **रॉबर्ट :** ''समाजवादी कार्यक्रम का केवल यह लक्ष्य है कि भूमि तथा उत्पादन के अन्य साधनों पर समाज का अधिकार स्थापित हो। दूसरे शब्दों में, उनका उपयोग जनता द्वारा, जनता के लाभ के लिए किया जाया।''
2. **जयप्रकाश नारायण :** ''समाजवादी समाज एक ऐसा वर्गरहित समाज होता है, जिसमें सभी श्रमिक होते हैं, यह एक ऐसा समाज होता हैं, जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति के हित के लिए मानव श्रम का शोषण नहीं होता, जिसमें समस्त संपत्ति वास्तविक रूप में राष्ट्रीय होती है। जिसमें बिना काम किए किसी को कुछ नहीं मिलता और जिसमें आय की अधिक असमानताएँ नहीं होती, जिसमें मानव जीवन का संचालन एवं उसकी उन्नति योजनावद्ध ढंग से होती है और जिसमे सब, सबके लिए जीवित रहते है।''
3. **आचार्य नरेन्द्र देव : "**समाजवाद का उद्देश्य एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना है, जिसमें कोई न शोषक हो न शोषित, वरन् समाज सहकारिता के आधार पर निर्मित व्यक्तियों का एक सामूहिक संगठन हो।''
4. **जॉर्ज बरेनॉर्ड शॉ :** ''समाजवाद आय की समानता के अतिरिक्त कुछ नहीं है।''

इस तरह यह स्पष्ट होता है। कि समाजवाद शोषण और व्यक्तिगत संपत्ति के विरूद्ध विद्रोह है। साथ ही यह मानव के बीच आर्थिक, सामाजिक, समानता को लिए हुए, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रधानता को स्वीकार करता है।

समाजवाद के सिद्धांत/ विशेषताएँ :

क. पूँजीवाद का विनाश : समाजवाद, पूँजीवाद का विनाश और आर्थिक क्षेत्र में अधिक से अधिक समानता का पोषक है। पूँजीवाद से समाज में वर्गभेद उत्पन्न होता है। और राज्य का स्वरूप सर्वहितकारी न होकर वर्गहितकारी हो जाता है।

ख. प्रतियोगिता की समाप्ति : समाजवाद राष्ट्री एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग की स्थापना करना चाहता है। प्रतियोगिता में लोगों के चरित्र का पतन होता है। व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रतियोगिता द्वारा उत्पादन की अनुचित मात्रा बढ़ जाती है। समाजवादियों की धारणा है कि प्रतियोगिता से केवल धनीक वर्ग ही लाभान्वित होते है। गरीब या मजदूर वर्ग नहीं होते है।

ग. उत्पादन के साधनों पर सबका स्वामित्व : समाज के महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व ये हैं कि सभी बड़े उद्योगों और भूमि पर सार्वजानिक अथवा सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए। और निजी लाभों के

PTEC GURWA SITAMARHI BIHAR

स्थान पर उसका संचालन सामान्य हित के लिए किया जाना चाहिए। समाजवाद उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है, व्यक्ति विशेष का स्वामित्व नहीं होता।

घ. आर्थिक नियोजन : केन्द्रीय नियोजन के बिना समाजवादी अर्थव्यवस्था की कल्पना संभव नहीं है समाजवाद में नियोजन की आवश्यकता इसलिए होती है। क्योंकि वहाँ मूल यंत्र का अभाव होता है, जिससे उत्पादन के साधनों का वितरण समुचित नहीं हो पाता इसलिए नियोजन अपनाया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से नियोजित होती है। नियोजन में केन्द्रीय नियोजन अधिकारी यह नियोजित करता है कि किस वस्तु का कहाँ और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाएगां

ड. आर्थिक असमानता : समाजवाद में व्यक्तिगत संपत्ति का लाभ उपार्जन करने की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया जाता है। समाजवाद मे आर्थिक समानता आ जाती है। संपत्ति और आर्थिक शक्ति ने बहुत अधिक असामनता नहीं रहती। यदि हम यह मानते है कि सुखी और सभ्य जीवन बिताने के लिए तथा सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, सभी स्वतत्रंता, समानता और भाईचारे की भावना बढ़ाना चाहते है तो हमें समाज के हित के लिए ही कार्य करना है।

च. केन्द्रीय शासन : समाजवादी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित एवं संचालित करने के लिए एक केन्द्रीय शासन होता है, यह केन्द्रीय शासन भौतिक और मानवीय साधनों पर अधिकतम कल्याण के लिए कार्य करता है।

छ. कल्याणकारी ईरादें : समाजवादी राज्य एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भी कार्य करता है। नागरिक राज्य के आर्थिक सामाजिक और अन्य कल्याणकारी कार्यों का समर्थन करते है। समाजवाद मे राज्य को आर्थिक क्षेत्र मे पर्याप्त नियत्रंण रखना चाहिए। जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था निर्देशित हो सके।

ज. मानवीय आदर्शों का महत्व : समाजवाद में भौतिकता के स्थान पर मानवीय आदर्शों को महत्व दिया जाता है। भ्रातृत्व भावना को बढ़ाया जाता है, जिससे समाज के सभी वर्गों के बीच सहयोग एवं सद्भावना बढ़ सके तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भेद भाव समाप्त किया जा सकें।

झ. उपभोग तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता : समाजवाद ऐसे आंदोलन है, जिसमे व्यक्ति की व्यवसाय एवं उपभोग की स्वतंत्रता को भैतिक दृष्टि से नष्ट किए बिना बढ़ी हुई आय को समानता के साथ वितरित किया जाय। समाजवादी सबके लिए स्वतंत्रता का समर्थन करते है। वे सबको समान अवसर तथा स्वतंत्रता की गारंटी देना चाहते है। उदार समाजवाद में लोगों को वस्तुओं के चुनाव की स्वतंत्रता रहती है, जिसमें लोगों को अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता रहती है।

ञ. औद्योगिक प्रजातंत्र : समाजवाद के अंतर्गत सार्वजानिक क्षेत्र का अधिक विस्तार होता है। उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही उसका संचालन करती है। इसमें निजी संपत्ति ही उसका संचालन करती है। इसमें निजी संपत्ति का महत्व घट जाता है।

ट. शोषण का अंत : समाजवाद में समस्त संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों पर समाज का प्रभुत्व स्थापित किया जाता है। इसका उद्देश्य मानवीय शोषण को समाप्त करना है। निजी संपत्ति चोरी समझी जाती है। यदि निजी संपत्ति और आय का समान वितरण किया जाता है, तो उत्तराधिकार और अवसरों के कारण उत्पन्न होने वाले भेद–भाव समाप्त हो जाते हैं और समाजवादी समाज की स्थापना की जा सकती है।

ठ. पूर्ण रोजगार : समाजवाद के अंतर्गत उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों को इस प्रकार संगठित किया गया है। कि वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिकतम उपभोग किया जा सके। समाजवाद का

PTEC GURWA JHAGARHA, HAZARIBAG

मूल उद्देश्य है, वर्त्तमान संपत्ति का न्यायिक ढंग से वितरण करना। उत्पादकता में वृद्धि करने, गरीबी को समाप्त कर सामाजिक न्याय की स्थापना करना। इस तंत्र में बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है, तथा रोजगार प्राप्त करने वालों की तुलना में रोजगार के अवसर अधिक होते है। समाजवाद के अंतर्गत वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाता है और सामाजिक न्याय मिलता है इसमें पूर्ण रोजगार उत्पादन में वृद्धि और औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना हो जाती है।

समाजवाद के दोष :

1. व्यक्तिगत उत्पादन का नष्ट होना :उत्पादन के साधन पर समाज के अधिकार से श्रमिक की निजी लाभ की आशा नष्ट हो जाएगी और लोग कार्य में उत्साह नहीं दिखलाएँगे।
2. समाजवाद समाज को दो श्रमिक और पूँजीपति वर्गों में बाँटता हैं इससे वैमनव्य बढ़ता है।
3. राज्य का कार्य बढ़ जायगा अतः नौकरशाही बढ़ेगी।
4. समाजवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता लुप्त हो जाएगी।
5. वर्ग संघर्ष पर अनावश्यक जोर से श्रमिक पूँजीपतियों के बीच सहयोग के बदल संघर्ष बढ़ता है।
6. प्रतियोगिता के बिना उपभोक्ता का अहित होगा तथा वस्तुओं का मनमाने दाम होगा।
7. यह व्यवस्था खचीर्ली हैं इसमें लोग आलसी बन जाएँगे ओर कार्य करने से भागेंगे।

यद्यपि भले ही समाजवाद की कितनी भी आलोचना की जाय आज समाज वाद वर्त्तमान युग की माँग है। पूँजीवादी और व्यक्तिवादी अर्थ व्यवस्था सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से सफल नहीं हो सकती है। आर्थिक असमानता के रहते हुए राजनीतिक प्रजातंत्र व्यर्थ है। विचारकों ने तो समाजवाद को समस्त बुराईयों को दूर करने वाला कहा है।

PTEC GURWA, SITAGARHA, HAZARIBAG

प्रजातंत्र

भूमिका :

आधुनिक युग प्रजातंत्र का युग है। प्रजातंत्र को सब शासनों में उच्चतम स्थान दिया गया है। प्राचीन यूनानी भी सब शासनों में इसे श्रेष्ठ मानते थे शासन के रूप में प्रजातंत्र का भविष्य बहुत उज्जवल है ऐसी संभावना है और आशा भी की जाती है, कि धीरे–धीरे प्रजातंत्र संसार के कोने–कोने में फैल जाएगा। शासन के रूप में प्रजातंत्र में जनता ही शासक होती है।

प्रजातंत्र की अर्थ :

प्रजातंत्र, लोकतंत्र या जनतंत्र का अर्थ जनता का शासन है। प्रजातंत्र अंग्रेजी शब्द **"Democracy"** का हिन्दी अनुवाद है। **"Democracy"** शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों **"Demos"** तथा **"Kratia/Kratos"** से बना है। **"Demos"** का अर्थ है 'जनता' तथा **"Kratia"** का अर्थ है, 'शक्ति' इस प्रकार **"Democracy"** का अर्थ है, जनता की शक्ति अतः प्रजातंत्र का तात्पर्य उस शासन प्रणाली से है, जिसमें शासन शक्ति एक व्यक्ति या वर्ग विशेष मे निहित न रहकर जन साधारण मे निहित होती है। वर्त्तमान में लोकतंत्र को मात्र शासनतंत्र के रूप में नहीं देखा जाता है। वरन् इसकों विभिन्न रूपों जैसे शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, जीवन दर्शन आदि रूप में देखा जाता है।

परिभाषाएँ :

क. अब्राहम लिंकन : ''प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा हो''।

ख. सीले : ''प्रजातंत्रीय शासन वह है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है।''

ग. ब्राइस : ''प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति किसी वर्ग विशेष अथवा वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है।''

घ. डायसी : ''प्रजातंत्र शासन का वह रूप है, जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग हो।''

प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत :

1. **स्वतंत्रता :** स्वतत्रंता प्रजातंत्र की आधार शिला है। इसके आभाव में मानव अपनी शक्तियों का विकास नहीं कर सकता है। प्रजातंत्र में सभी को विचार व्यक्त करने की स्वतत्रंता, सोचने, लिखने, वाद–विवाद करने, समालोचना करने आदि की स्वतत्रंता होनी चाहिए। अधिकारों के साथ कर्त्तव्य भी है। इसलिए स्वतत्रंता का उचित अर्थ व्यक्ति का विकास समूह द्वारा, समूह के लिए है।

2. **समानता :** समानता प्रजातंत्र का दूसरा मूल सिद्धांत है। प्रजातंत्र में किसी प्रकार के भेद–भाव के लिए व्यवस्था नहीं होती। इसमें सभी व्यक्ति समान होते है। चाहे वे किसी जाति, प्रजाति, लिंग, धर्म तथा वर्ग के क्यों न हों इसमें वैयक्तिक विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने पर बल दिया जाता है। समान अवसर का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रूचियों योग्यता तथा क्षमताओं के अनुकूल विकास की पूर्ण सुविधाएँ प्राप्त हो।

3. **बंधुत्व/भ्रातृत्व :** प्रजातंत्र सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है, जो व्यक्ति तथा सामूहिक हित की उन्नति के लिए कार्य करती है। व्यक्ति तथा समूह दोनों का हित पारस्पारिक एकता पर निर्भर

PTEC GURWA, SITAGARHA, HAZARIBAG

करता है। बंधुत्व की भावना सच्चे प्रजातंत्र की कुंजी है। समाज में बंधुत्व की भावना अथवा आपसी भाईचारे से रहना प्रजातंत्र का महान सिद्धांत है।

4. **न्याय** : भारत मे प्रजातंत्र की पूर्ण सफलता के लिए प्रजातंत्र के सिद्धांतों में न्याय को भी जोड़ दिया गया है। प्रजातंत्र में न्याय की दृष्टि से अमीर व गरीब निर्बल व शक्तिशाली आदि सभी समान हैं उनके साथ किसी प्रकार कानूनी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून की दृष्टि में निर्धन तथा धनवान सभी बराबर हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

प्रजातंत्र के आदर्श/मूल्य :

1. **सहनशीलता** : लोकतंत्र का मूल मंत्र है जियो और जीने दो'' इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम दूसरे व्यक्तियों के उचित विचारों को स्वीकार करना सीखें। व्यक्ति को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए। कि मेरा विचार या कार्य सही है, और दूसरों के विचार या कार्य गलत हैं।

2. **व्यक्ति का आदत** : प्रजातंत्र इस आस्था पर आधारित है कि मानव व्यक्तित्व अनन्त मूल्य का है। सभी व्यक्तियों को सम्मान एवं आदर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में व्यक्ति की गरिमा को महता प्रदान की गई है। साथ ही दूसरे व्यक्तियों के विकास मे बाधा नहीं डालना चाहिए। वरन् उनके विकास मे सहयोग प्रदान करना चाहिए।

3. **परिवर्तन मे विश्वास** : परिवर्त्तन प्रजातंत्र का आवश्यक गुण हैं। अतः प्रजातंत्र में आस्था रखने वाला व्यक्ति परिवर्त्तन में विश्वास करता है। वह आँख बंद करके किसी बात पर विश्वास नहीं करता वरन् वह अपनी जाँच पड़ताल करके उन्हें स्वीकार करता है।

4. **समझाने–बुझाने से परिवर्त्तन** : प्रजातंत्र में कोई विचार दूसरों पर बल–पूर्वक नहीं लादे जाते वरन् विचार–विमर्श या समझा–बुझाकर उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाता है। प्रजातंत्र में परिवर्त्तन को संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण उपायों के माध्यम से लाने पर बल दिया जाता है।

5. **सेवा** : प्रजातंत्रीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति को स्वेच्छा से जनता की सेवा के लिए अर्पित करना चाहिए। व्यक्ति समाज के लिए है और समाज व्यक्ति के लिए। अतः प्रजातंत्र को सफल बनाने के लिए व्यक्ति में सेवा की भावना का होना आवश्यक है।

प्रजातंत्र में शिक्षा के उद्देश्य :

1. **समविकसित व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का विकास** : आज का संसार संघर्षो और कटुताओं से भरा हुआ है। ये दोनों प्रजातंत्र और मानव के लिए संकट का कारण बन गए है। अतः शिक्षा को सामजस्य पूर्ण व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का विकास करना चाहिए।

2. **व्यक्ति की आर्थिक सपन्नता** : प्रजातंत्र की सफलता व्यक्तियों की आर्थिक संपन्नता पर निर्भर है। इसका कारण यह है कि आर्थिक संपन्नता न होने पर वे अपने कर्त्तव्य से विमुख हो सकते है। इसके अतिरिक्त वे धन संपन्न व्यक्तियों के इशारों पर अपने वोट किसी को भी दे सकते है। अतः प्रजातंत्र मे शिक्षा का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वह लोगों को किसी व्यवसाय के लिए तैयार करके उनको धन–संपन्न बनाए।

PTEC GURWA, TEACHA, HAZARIBAG

3. **व्यक्ति की रूचियों का विकास :** प्रजातंत्र में शिक्षा को व्यक्ति की रूचियों के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। बालक में जितनी ही अधिक उपयुक्त और श्रेष्ठ रूचियाँ होगी उसे उतने ही अधिक अवसर शिक्षा काल में और उसके बाद सुखी, कुशल और संतुलित जीवन व्यतीत करने के लिए मिलेंगे।

4. **अच्छी आदतों का निर्माण :** प्रजातंत्रीय समाज के नागरिक में अच्छी आदतों का निर्माण किया जाना आवश्यक है। क्योंकि आदते ही गरीबी या अमीरी, परिश्रम या आलस्य, अच्छे या बुरे कार्यों की नींव डालती है अतः बालकों को आरंभ से ही अच्छी आदतें सिखायी जानी चाहिए, जिससे कि उनका और उनके समाज का भावी जीवन सुखी हो सकें।

5. **सामाजिक दृष्टिकोण का विकास :** प्रजातंत्र में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। व्यक्ति में सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना। इस उद्देश्य में सामाजिक समझदारी, सामाजिक रूचियाँ सामाजिक प्राणी बनने की भावना, सहयोग और सामाजिक तथा आर्थिक प्रश्नों का निर्णय करने की योग्यता आती है। इस प्रकार इस उद्देश्य में सामाजिक भावना और सामाजिक क्षमता की भावना सम्मिलित है।

6. **कुशलता की प्राप्ति :** प्रजातंत्र के लिए शिक्षा देने के समय कुशलता की प्राप्ति को उद्देश्य बनाया जाना चाहिए। कुशलता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए। 'एलिएट' ने लिखा है ''कुशलता से मेरा अभिप्राय है, स्वस्थ और सक्रिय जीवन में कार्य तथा सेवा की सार्थक शक्ति।

इस शक्ति से प्रशिक्षण और विकास के लिए हर व्यक्ति को शिक्षा दी जानी चाहिए।

7. **नागरिकता का प्रशिक्षण :** प्रजातंत्र में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों को नागरिकता का प्रशिक्षण देना है। इसमें नागरिकता का बहुत कठिन दायित्व है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को उसके लिए प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

8. **नेतृत्व के गुणों का विकास :** प्रजातंत्र का अर्थ है सबसे बुद्धिमान निर्वाचित नागरिकों के नेतृत्व में सबकी प्रगाति। अतः शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्तियों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना है क्योंकि आज के युवक भावी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करेंगे। इसलिए शिक्षा का विशेष उद्देश्य उनको सामाजिक, राजनैतिक, औद्योगिक या सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व के लिए प्रशिक्षित करना होना चाहिए।

9. **राष्ट्रीय चेतना का विकास :** भारत जैसे विविधतापूर्ण प्रजातंत्र में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना का विकास होना चाहिए। शिक्षा द्वारा बालकों में राष्ट्रप्रेम की भावना का विकास करना चाहिए। साथ ही उन्हे अपनी राष्ट्रीय धरोहर का ज्ञान कराया जाय जिसे वे उसपर गौरवान्वित हो सकें।

PTEC GURWA, TAGARHA, HAZARIBAG

धर्मनिरपेक्षता

अर्थ : धर्मनिरपेक्षता को विभिन्न विद्वानों ने अलग–अलग शब्दों में परिभाषित किया हैं। किन्तु इन परिभाषाओं में मात्र शब्दों का ही अंतर है। तथा उनक अर्थ प्रायः एक जैसे है। जिसमे वेबस्टर शब्दकोष के अनुसार धर्मनिरपेक्षता यह विश्वास है कि धर्म तथा धार्मिक क्रियाएँ राज्य के मामले में प्रवेश नहीं करेंगी।

अपने अर्थ को और अधिक स्पष्ट करते हुए आगे लिखा गया है कि धर्म–निरपेक्षता उन सिद्धातों तथा व्यवहारों की कार्य प्रणाली है, जो प्रत्येक धार्मिक विश्वास तथा पूजा–अर्चना को स्वीकार करती है। इस दृष्टिकाण से यह विश्वास प्रत्येक धर्म को अपने प्रचार–प्रसार की पूर्ण स्वतत्रंता प्रदान करता है। किन्तु राज्य किसी भी धर्म को न तो राजकीय कार्यों में प्रवेश होने देता है, और न किसी धर्म को अतिरिक्त प्रोत्साहन या संरक्षण प्रदान करता है। और न किसी धर्म विशेष के अहित में ही कार्य करता है। इस स्थिति में राज्य धर्म की आड़ में या धार्मिक क्षेत्र में कोई भी बंधन नहीं लगता है।

डॉ० भीमराव अम्बेडकर :

''भारतीय संविधान के पिता डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने धर्म निरपेक्षता के सम्बध में लिखा है कि ''धर्म निरपेक्षता से केवल इतना तात्पर्य है कि संसद शेष व्यक्तियों पर बलपूर्वक किसी एक धर्म को नहीं लाद पायेगी।''

डॉ० अम्बेडकर की इस परिभाषा ने धर्म निरपेक्षता के लिए संसद की सीमाओं का भी निर्धारण कर दिया है, संसद किसी व्यक्ति या समूह को किसी धर्म को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। संसद तथा सरकार व्यक्तियों को इतनी स्वतत्रंता देगी कि व्यक्ति अपने धार्मिक क्षेत्र में स्वतत्रंता के साथ कार्य कर सके।

धर्मनिरपेक्षता के लिए समस्त नागरिकों को धार्मिक स्वतत्रंता प्रदान करना अनिवार्य है। इस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता के फलस्वरूप ही प्रत्येक धर्म समान रूप से अपनी प्रगति, प्रसार तथा उन्नति कर सकता है। धर्म–निरपेक्षता की स्थिति में किसी भी व्यक्ति पर राज किसी भी प्रकार का धार्मिक स्वतत्रंता धर्म–निरपेक्षता का आधार है। समान अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति इस बात के लिए स्वतत्रं है कि वह किसी भी धार्मिक समूह में चला जाय। इससे स्पष्ट है कि धर्म निरपेक्षता, धर्म विहीनता या धर्म उदासीनता की स्थिति न होकर सर्वधर्म समान की स्थिति है। यही वह स्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास कर सकता है। इसके संबंध में पं० जवाहर लाल नेहरू का कहना है कि ''धर्म निरपेक्षता का तात्पर्य है कि धर्म पूर्ण स्वतत्रं है और राज्य अपने व्यापक कार्यों मे सभी को धार्मिक संरक्षण एवं ऐसे अवसर प्रदान करेगा कि सभी नागरिक सहिष्णुता व सहयोग की भावना का विकास कर सकें।

धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएँ :

1. धर्मनिरपेक्षता की स्थिति में किसी भी धर्म विशेष को राजधर्म का दर्जा नहीं दिया जाता है।
2. राज्य किसी भी धर्म विशेष को न तो कोई विशेष सुविधाएँ ही प्रदान करता है और न संरक्षण ही देता है।
3. राज्य किसी धर्म के प्रति न तो विद्वेषात्मक रूप अपनाता है। और न किसी धर्म के अहित के लिए कोई कार्य करता है।
4. सभी व्यक्तियों को समान धर्मिक स्वतत्रंता प्राप्त होती है। धार्मिक स्वतत्रंता के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार करने के लिए स्वतत्रं होता है। और प्रत्येक धर्म अपने प्रचार एवं प्रसार के लिए सभी वैधानिक कार्य करने को स्वतत्रं है।
5. राज्य किसी भी धार्मिक क्रियाकलापों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा।

PTEC GURWA GIRIDIH HAZARIBAG

6. संसद को धर्म संबंधी भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है और न उसे यह अधिकार है कि किसी धर्म को स्वीकार करने के लिए किसी को बाध्य करें।

7. राजकीय तथा राज्य से अनुदान प्राप्त संस्थओं में किसी धर्म विशेष का प्रचार या प्रसार नहीं किया जाएगा।

भारत में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता :

1. भारत बहुधर्मी देश है। भारत में अनेक धर्म है। इसे बहुधर्मी देश भी कहा जाता है। अतः आवश्यक है कि राज्य सभी धर्मों को समान समझे।

2. **अल्पवर्गों मे विश्वास उत्पन्न करना :** अल्पसंख्यकों के मन में इस प्रकार की भावना उत्पन्न करना आवश्यक है कि राज्य उसके हितों की रक्षा करता है।

3. **अल्पवर्गों का विश्वास प्राप्त करना :** देश की एकता एवं अखंडता के लिए आवश्यक है कि सभी धर्मों के लोग राष्ट्र के प्रति वफादारी के भाव रखें यह तभी हो सकता है जब उनको अपने धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने की स्वतत्रंता दी जाय।

4. **संप्रदायिकता के जहर का उपचार करना :** सांप्रदायिकता ने हजारों वर्षों से चले आ रहे अखंड भारत का विभाजन कर दिया। सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण धार्मिक संकीर्णता है अतः आवश्यक है कि सभी धर्मों के मानने वालों के साथ राज्य एक जैसा व्यवहार करें।

5. **समाजवाद राज्य की स्थापना :** समाजवाद राज्य की स्थापना करना भारतीय संविधान में राज्य का आदर्श माना गया है। समाजवाद सब व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखता है।

6. **लोकतंत्र राज्य की अवधारणा :** भारत ने लोकतंत्र पद्धति को अपनाया है। लोकतंत्र राज्य में धर्म आदि का कोई भेदभाव नहीं होता।

भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा विचार है, जिसके अनुसार धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ा गया है। धर्म का क्षेत्र व्यक्ति के अतः करण के विस्तार का क्षेत्र है जिसमें उसे पूर्ण स्वतत्रं छोड़ दिया यगा है। व्यक्ति किसी भी धर्म, सांप्रदाय, पूजा विधि व विश्वास को मानने व अपनाने के लिए स्वतंत्र है। भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्यों में सभी धर्मों को तथा उन्हें मानने वालों को समान रूप से विकास करने के अवसर प्रदान किए गए है। धर्म की स्वतत्रंता के अधिकार को नागरिकों को मौलिक अधिकार स्वीकार किया गया है। और इस प्रकार उन्हें अपने धार्मिक विश्वास रखने तथा इच्छानुसार पूजा विधि को अपनाने का अधिकार प्राप्त है। राज्य का कर्त्तव्य किसी धर्म विशेष का प्रचार करना न होकर सभी धर्मो के विश्वास की परिस्थितियाँ जुटाना घोषित किया गया है।

अतः धर्म निरपेक्षता का तात्पर्य है किसी धर्म का विरोध न करके सब धर्मों के लिए समान अवसर प्रदान करना इसके लिए आवययक होगा कि धार्मिक शिक्षा की अपेक्षा धर्मों की शिक्षा दी जाय।

PTEC GURWA SITAMARHI, HAZARIBAG

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण

सार्वजनीकरण का अर्थ :शिक्षा के सार्वजनीकरण का अर्थ है, शिक्षा को जनसाधारण के लिए सुलभ बनाना है अन्य शब्दों में हम कह सकते है। कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रयास किए जाय कि शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष, किसी विशिष्ट वर्ग की न होकर जन साधारण की शिक्षा हो और जनसाधारण को भी प्राप्त हो। प्राथमिक शिक्षा का दूसरा रूप ही सार्वजनीकिरण की शिक्षा है। अतः प्राथमिक शिक्षा को प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ बनाना शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है।

के० जी० सैयदेन : ''प्राथमिक शिक्षा का संबंध किसी विशेष वर्ग या समूह से नहीं है, बल्कि इसका संबध देश की समस्त जनता से है यह प्रत्येक बिंदु पर जीवन का स्पर्श करती है।''

प्राथमिक शिक्षा के संबंध में संविधान में किए गए संकल्प को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाया जाय। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निम्न बातों पर बल दिया गया है।

क. 14 वर्ष के अवस्था तक के सभी बच्चों को विद्यालयों में भर्ती तथा उनका विद्यालय में टिके रहना।

ख. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना।

भारत में सार्वजनिक शिक्षा का विकास :

भारत सरकार द्वारा 1985 में प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत में सार्वजानिक शिक्षा के विकास की उपलब्धियाँ तथा चुनैतियों का वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया जिसमें :

क. हमारे संविधान को धारा 45 के राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 6–14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा 10 वर्षों में उपलब्ध कराने का संकल्प रखा गया था यह संभव नहीं हो पाया।

ख. 1981 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 करोड़ बच्चे थे। उन्हें सार्वजानिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता उनमें से केवल 9.3 करोड़ बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा के अंतर्गत लाया जा सका है। 21 सदी के आंरभ में उनकी संख्या 19.25 करोड़ होनी है।

ग. लेकिन विभिन्न राज्यों में इस संकल्प में बहुत असमानताएँ देखने को मिली है। असम में नामांकन केवल 62.9 प्रतिशत ही रही राजस्थान में जालौर जिले में लड़कियों का नामांकन मात्र 17 प्रतिशत रही। अनुसूचित जातियों की 93.4 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजतियों की 81.99 प्रतिशत रही।

घ. 1985 में स्थिति यह थी कि देश की कुल 9.65 लाख बस्तियों, गाँवों, कस्बों और शहरों का लगभग 5 वाँ भाग अर्थात् 1.91 लाख बस्तियों में कोई प्राथमिक शाला नहीं थी। जहाँ पर प्राथमिक शालाएँ विद्यमान थी। उनमें से 40 प्रतिशत पाठशालाओं की पक्की इमारते नहीं थी। 39.72 प्रतिशत पाठशालाओं में कोई श्यामपट्ट नहीं था और 59.50 प्रतिशत पाठशालाओं में पीने की पानी व्यवस्था नहीं थी 80 प्रतिशत पाठशालाओं में शौचालय नहीं थे तथा 72 प्रतिशत में पुस्तकालय नहीं थे। 35 प्रतिशत पाठशालाओं में केवल 1 शिक्षक प्रतिशाला जो कि 3/4 कक्षाओं को पढ़ाता था।

ड. प्रथम कक्षा में भर्ती होने वाले प्रत्येक 100 बालकों मे केवल 23 ही कक्षा 8 तक पहुँच पाते है।

PTEC GURWA, STAGARHA, HAZARIBAG

च. अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों में नामांकन प्रवृत्ति बढ़ी है, लेकिन दो बातें सामने आयी हैं: लड़को के अनुपात में लड़कियों का नामांकन बहुत कम है। अन्य वर्गों में छात्र/छात्राओं की तुलना में अनुसूचित जातियाँ व जनजातियों की नामांकन दर काफी कम है।

भारत में सार्वजनिक शिक्षा के विकास के लिए प्रयास :

1. अधिक अर्थिक प्रावधान प्रदान किया जा रहा है।
2. अधिक प्राथमिक पाठशालाएँ खोली जा रही है।
3. प्रत्येक ग्राम या बस्ती जहाँ 300 व्यक्ति रहते है एक प्राथमिक पाठशाला खोलने का प्रयास किया जा रहा है।
4. Operotion Black Board के अंतर्गत जो 1985 में लागू किया गया है। देश भर की प्राथमिक शालाओं मे साज–समान व दो शिक्षक उपलब्ध कराए गए है।
5. प्राथमिक स्त्र के शिक्षकों को अधिक संख्या में विशेष प्रोग्राम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जा रहा है।
6. अनौपचारिक शिक्षा संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए निम्न कदम उठाए जाने चाहिए।

1. **अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था** : प्रारंभिक स्तर पर छात्रों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सभी को बिना किसी भेदभाव के समान शिक्षा मिले क्योंकि शिक्षा व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है।

2. **निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था** : कुछ बालक बिना शिक्षा के इसलिए रह जाते है। क्योंकि उनके पास शिक्षा के लिए खर्च करने के लिए धन नहीं होता। भारत में बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहें हैं इसलिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ताकि शिक्षा मिल सके।

   ग्रामीण क्षेत्रों या पिछड़े पूरवर्ती क्षेत्रों में विद्यालय बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। छोटे बच्चों के लिए वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है। इसलिए थोड़ी दूरी पर विद्यालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

3. **मुक्त पुस्तके, वर्दी एवं मध्याह्न भोजन की व्यवस्था** : प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए सरकार को छात्रों में मुफ्त पुस्तकें, वर्दी एवं दोपहार के भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। इस लाभ के द्वारा भी छात्र विद्यालय को ओर बढ़ेगें।

4. **बालिकाओं के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था** : यदि किसी स्थान पर बालकों एवं बालिकाओं की संख्या अधिक है तो कई बार माता–पिता बालिकाओं को सहशिक्षा के विद्यालयों में नहीं जाने देते इसलिए बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए।

5. **शिक्षकों की व्यवस्था** : कई विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं होते है। ऐसी स्थिति में अधिक बच्चे अनुपस्थित रहने लगते है। इसलिए विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए।

- नर्सरी कक्षाएँ व आँगनबाड़ी खोली जाय ताकि छोटे भाई बहनों का दायित्व समाप्त हो और छात्र विद्यालय आ सकें।
- प्रारंभिक शिक्षा के साथ व्यवसायिक शिक्षकों भी जोड़ा जाय।
- शिक्षा का उचित प्रचार–प्रसार किया जाय।

PTEC GURWA, SITAGARHA, HAZARIBAG

- सह–शिक्षा वाले विद्यालयों के साथ लड़कियों के लिए अलग विद्यालय खोलें जाय।
- जो माता–पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हो उन्हे आर्थिक मदद या अनाज या ऋण की सुविधा दी जाय।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

अर्थ : सामान्यतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अर्थ है कि पूरे देश के लिए शिक्षा से संबंधित नियमों व सिद्धातों की एक निश्चित रूप रेखा। इन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार देश की समस्त शिक्षा संबंधी गतिविधियों का संचालन होता है। तथा यही नियम व सिद्धांत देश के समस्त राज्यों के लिए भी शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमां का आयोजन करता है। शिक्षा नीति किसी भी देश के शिक्षा संचालन के लिए स्पष्ट निर्देशन का कार्य करती है।

इतिहास में ऐसे क्षण आते है जबकि दीर्घ काल से चली आ रही प्रक्रिया को नई दिशा की आवश्यकता होती है। भारतीय शिक्षा का वही क्षण सन् 1986 मे आया इससे पूर्व भी यह पग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के द्वारा उठाया गया था। उसका उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति को सुदृढ़ करना था। उसमें शिक्षा प्रणाली के सर्वांगीण पुनर्निर्माण तथा हर स्तर पर शिक्षा को जन–जीवन के साथ जोड़ने पर ध्यान दिया गया था।

शिक्षा में अराजकता और अनिश्चिता के वातावरण को दूर करने के लिए 1984 में तात्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गाँधी ने देश को एक स्पष्ट दिशा निर्देश देने के लिए तथा 1968 की शिक्षा नीति की कमियों को दूर करने, शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य करने के लिए 5 जनवरी 1985 को एक नई नीति की आवश्यकता पर बल दिया। उनका कहना था कि देश को 21 सदी में लाने के लिए वैज्ञानिक व आर्थिक स्तर के विकास के लिए शिक्षा में परिवर्त्तन आवश्यक है। नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 20 अगस्त 1985 को शिक्षा में चुनौती नामक प्रपत्र में शिक्षा को देश की आवश्यकता की पूर्ति तथा समस्याओं के समाधान तथा भविष्य की शिक्षा के संदर्भ के लिए समस्त देश में सम्मेलन, सेमिनार तथा अध्ययन के लिए दिशा निर्देश दिए गए। अंत में अनेक सुझावों को ध्यान में रखते हए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निर्माण किया गया। इस नीति के निर्मित होने के पश्चात तात्कालीन मानव संसाधन मंत्री वी.बी. नरसिम्हाराव ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा देश को 21 वीं सदी में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान होगी। इस शिक्षा नीति को निम्नलिखित 12 भागों में बाँटा गया है।

1. **भूमिका :** इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का व्यापक प्रभाव पड़ा है, सभी प्रांतो मे 10+2+3 शिक्षा संरचना स्वीकार कर ली गई है। प्राथमिक शिक्षा 90 प्रतिशत बच्चों को उपलब्ध है, माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित की शिक्षा को स्तर को उठाने की प्रक्रिया शुद्ध हो चुकी है और देश के आवश्यकतानुसार जनशक्ति की पूर्ति हो रही है। पर साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि उस नीति के अधिकांश सुझाव कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकते हैं, फिर भी देश की परिस्थितयों में भारी परिवर्त्तन हुआ है। देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, परम्परागत मूल्यों मे ह्रास हुआ है और लोकतंत्रिय लक्ष्यों की प्राप्ति मे अनेक अड़चने आ रही है, इनके अतिरिक्त हमे भविष्य मे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः आवश्यक है कि वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा की नई नीति तैयार करें और उसे क्रियान्वित करें।

PTEC GURWA SINGARIA HAZARIBAG

2. **<u>शिक्षा का सार और उसकी भूमिका</u>** : इसमें यह स्वीकार किया गया है कि सबके लिए शिक्षा हमारे भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा मनुष्य को सुसंस्कृत बनाती है और संवेदनशील बनाती है, जिससे राष्ट्रीय एकता विकसित होती है यह मनुष्य में स्वतंत्र चिंतन एवं सोझ–समझ की क्षमता उत्पन्न करती है। जिससे हम लोकतंत्रीय लक्ष्य, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, न्याय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की प्राप्ति कर सकते है। आर्थिक विकास कर सकते है। और अपने वर्तमान एवं भविष्य का निर्माण कर सकते है। शिक्षा वास्तव में एक उत्तम निवेश है।

3. **<u>राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था</u>** : इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में संविधान की मूल धारणा एक निश्चित स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध हो इसे सर्वप्रथम वरीयता दी जानी चाहिए साथ ही पूरे देश में समान शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू होनी चाहिए। इसमें प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की ऐसी आधार भूत पाठ्यक्रम तैयार होनी चाहिए जिसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके साथ ही प्रत्येक स्तर की शिक्षा का न्यूनतम अधिगम स्तर निश्चित होनी चाहिए और उसमें गुणात्मक सुधार होना चाहिए।

4. **<u>समानता के लिए शिक्षा</u>** : शिक्षा क्षेत्र की विषमताओं को दूर किया जाना चाहिए और महिलाओं अनुसूचित जातियों और जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यको, विकलांगों और प्रौढ़ो की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किया जाना चाहिए।

5. **<u>विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन</u>** : शिशुओं की देखभाल और शिक्षा में पूर्व–प्राथमिक स्तर पर शिशुओं के पोषण, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रूचि पूर्ण क्रियाओं, माध्यमिक स्तर पर गाति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना और उच्च स्तर पर खुले विवि की स्थापना पर बल दिया गया है। साथ ही यह घोषणा की गई है। कि कुछ चुने हुए क्षेत्रों में रोजगारों को उपाधियों से अलग करने की उपायों के सोची जाएगी।

6. **<u>तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा</u>** : इसमें तकनीकी और प्रबंध शिक्षा के महत्व को स्पष्ट किया गया है और इसकी समुचित व्यवस्था पर बल दिया गया है।

7. **<u>शिक्षा व्यवस्था को कारगार बनाना</u>** : इसमें शिक्षा के प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय बनाने, शिक्षकों की जवाब देही निश्चित करने और विद्यार्थियों के लिए सेवा में सुधार तथा उनके सही आचरण पर बल दिया गया है। शिक्षा सुविधओं को अधिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निर्धारित किए गए मापदण्ड के आधार पर शिक्षा संस्थाओं के कार्य के मूल्याकंन की पद्धति का सृजन करना।

8. **<u>शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देना</u>** : इसमें सांस्कृतिक मूल्यों और वैज्ञानिक सोच में समन्वय करने पर बल दिया गया है, मूल्य शिक्षा और भारतीय भाषाओं के विकास के साथ–साथ गणित और विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया गया साथ ही स्वास्थ्य वर्धक क्रियाओं जैसे खेल–कूद आदि पर बल दिया गया है तथा अंत में परीक्षा प्रणाली एवं मूल्याकंन प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव दिए गए है।

9. **<u>शिक्षक</u>** : इसमें शिक्षक के महत्व को स्वीकार किया गया है। उनके वेतनमान बढ़ाने और सेवा शर्तों को आकर्षक बनाने की बात कही गई है, तथा शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार के सुझाव दिए गए है।

10. **<u>शिक्षा का प्रबंध</u>** : इसमें प्रशासन के विकेन्द्रीकरण पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय शिक्षा सेवा, राज्य स्तर पर प्रांतीय शिक्षा सेवा और जिला स्तर पर जिला शिक्षा परिषद् के गठन

PTEC GURWA, SITAGARHA, HAZARIBAG

की बात कही गई है, साथ ही शिक्षा पर राष्ट्रीय आय की 6 प्रतिशत धन राशि व्यय करने की घोषणा की गई है।

11. **संसाधन एवं समीक्षा** : इसमें यह स्वीकार किया गया है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू करने के लिए एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी अतः प्रत्येक प्रस्तावित कार्य के लिए अनुभाजित धन राशि आवंटित करने की व्यवस्था की जाएगी। इस भाग में इस बात पर भी बल दिया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जाय।

12. **भविष्य** : इसमें यह विश्वास प्रकट किया गया है कि हम निकट भविष्य में शत् प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे और हमारे देश के उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सर्वोत्तम स्तर के होंगे।

संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह घोषण की गई थी कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद इस नीति के क्रियान्वयन और उसके परिणामों की समीक्षा की जायगी। पर उसी बीच केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बन गई इस सरकार ने 3 वर्ष बाद 1990 में ही इसकी समीक्षा के लिए समीति गठन कर दिया।

सुधार :

पूरे देश में +2 को स्कूली शिक्षा का अंग बनाया जायगा।

1. समानता के लिए शिक्षा :

क. समग्र साक्षरता अभियान पर और अधिक बल दिया जाएगा।

ख. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, छोटा परिवार, नारी को प्रोत्साहन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनी करण और प्राथमिक स्वास्थ्य को पाठयक्रम से जोड़ा जायगा।

ग. रोजगार तथा स्वरोजगार केन्द्रित एवं आवश्यकता और रूचि पर आधरित व्यवसायिक व कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बल दिया जायगा।

घ. नवसाक्षरों के लिए साक्षरता उपरांत सतत् शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम उपलब्ध कराये जाएँगे।

2. विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन :

क. Black Board योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम तीन बड़े कमरों और तीन शिक्षकों की व्यवस्था की जायगी।

ख. भविष्य में प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों में 50 प्रतिशत महिलाएँ होगी।

ग. Black Board योजना को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू किया जायगा।

घ. अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के लक्ष्य को 2000 तक प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाया जाएगा।

ड. माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के नामंकन पर बल दिया जायगा।

च. मुक्त अधिगम प्रणाली के सुदृढ़ किया जाएगा।

छ. परीक्षा एवं मूल्यांकन में सुधार के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन गठित किया जायगा।

PTEC GURWA, JHAGARHA, HAZARIBAG

3. **तकनीकी तथा प्रबंध शिक्षा :**
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को और सुदृढ़ किया जायगा।

4. **शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया को नया मोड़ देनाः**
क. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा पर विशेष बल दिया जायगा।
ख. परीक्षा संस्थाओं के दिशा निर्देशन के लिए परीक्षा सुधार प्ररूप तैयार किया जायगा।

4. **शिक्षा का प्रबंध :**
शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत से अधिक व्यय किया जायगा।

सुधार के बाद कार्य योजना :

1. पूर्व बाल्यकाल परिचर्य एवं शिक्षा।
2. प्रारंभिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और बी. बी. योजना।
3. माध्यमिक शिक्षा तथा नवोदय विद्यालय ।
4. शिक्षा का व्यवसायिकरण।
5. उच्च शिक्षा।
6. मुक्त विवि तथा दूर शिक्षा।
7. ग्रामीण विवि एवं संस्थान।
8. तकनीकी एवं प्रबंधं शिक्षा।
9. प्रणाली को कार्यकारी बनाना।
10. उपाधियों की रोजगार से विलधता एवं मानव शक्ति का नियोजन।
11. अनसुधान तथा विकास।
12. नारि समानता के लिए शिक्षा।
13. अनु0 जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा।
14. अल्पसंख्यकों की शिक्षा।
15. विकलांगो की शिक्षा।
16. प्रौढ़ शिक्षा।
17. स्कूल शिक्षा की विषयवस्तु तथा प्रक्रिया।
18. मूल्यांकन प्रक्रिया तथा परीक्षा सुधार।
19. युवा तथा खेल।
20. भाषा विकास।
21. सांस्कृतिक कार्यक्रम।
22. संचार साधन तथा शैक्षिक तकनीकी।
23. शिक्षक एवं उनका प्रशिक्षण।
24. शिक्षा का प्रबंध।

PTEC GURWA, SITAGARHA, HAZARIBAG

इकाई — 6

झारखण्ड में प्राथमिक शिक्षा

PTEC GURWA, SIMARHA, HAZARIBAG

झारखण्ड में प्राथमिक शिक्षा

झारखण्ड में शैक्षिक प्रणाली की शुरूआत :

शिक्षा के क्षेत्र में मिश्नरियों का व्यापक योगदान इस क्षेत्र के लिए रहा है। इनके द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, प्राथमिक माध्यमिक, उच्च विद्यालय, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, सामान्य शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा आदि से संबंधित अनेक संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। इन संस्थानों एवं विद्यालयों से झारखण्ड की एक बहुत बड़ी आबादी लाभान्वित हुई है।

शिक्षक प्रशिक्षण महिला एस0पी0जी0 मिशन द्वारा संत मार्ग्रेट महिला प्रशिक्षण विद्यालय के नाम से 1909 में दी स्थापित किया गया था। पुरूषों के लिए भी एक प्रशिक्षण विद्यालय 1904 में खोला गया था। फिर जी0ई0एल0 चर्च द्वारा बेथेस्वा महिला प्रशिक्षण विद्यालय 1948 में खोला गया था फिर लोहरदगा में आर0जी0 मिशन द्वारा 32 सुलाइन महिला शिक्षक प्र0 विद्यालय की स्थापना 1914 में की गई थी 1912 में आर0सी0 चर्च द्वारा ही नवाटोली में एक प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित किया गया इसी के द्वारा हजारीबाग में सीतागढ़ नामक स्थान में 1950 में एक केन्द्र स्थापित किया गया और संथाल पर गणा में Church of India 1912 में Chistian training स्कूल देवघर की स्थापना की गई। दुमका में इसी चर्च के द्वारा महारोह क्रिस्थान ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की गई थी। इस प्रकार 1960 तक झारखण्ड में 48 शि0 प्र0 महाविद्यालय की स्थापना ईसाईयों के द्वारा की गई थी। सरकार द्वारा भी स्थापित ऐसे विद्यालयों की संख्या 25 थी।

इस प्रकार प्रा0 शिक्षा के क्षेत्र में यद्यपि पूर्ण आँकड़ा के अनुसार केवल राँची डायोसिस क्षेत्रों में रोमन कैथोलिक द्वारा 538 प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी जो राँची, पलामू और हजारीबाग क्षेत्र मे थे। SPG मिशन द्वार 52 विद्यालय तथा GEL चर्च द्वारा 88 प्रा0 विद्यालय इस प्रकार कुल 678 प्राथमिक विद्यालय मिशन द्वारा स्थापित थे, जिसमें कुल 64444 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे थे।

मध्य विद्यालयों की कुल संख्या इस समय तक 180 थी। कैथोलिक चर्च द्वारा 225, SPG द्वारा 22 और GEL चर्च द्वारा 37 विद्यालय स्थापित किए गए थे। इसमें 28409 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संत कोलम्बा महाविद्यालय की स्थापना 1899 में हजारीबाग में की गई थी या एंग्लीकन चर्च द्वारा स्थापित है। राँची में संत जेवियर महाविद्यालय की स्थापना कैथोलिक चर्च द्वारा 1944 में की गई थी।

तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा से संबंधित 36 संस्थानों को स्थापना 1966 तक झारखण्ड क्षेत्र के विभिन्न जिलों में की गई थी। इसमें सरकार द्वारा 26 और निजी संस्थान द्वारा 10 ही स्थापना की गई थी। इसी प्रकार सिलाई, बुनाई, कारपेंटरी आदि के लिए भी अनेक प्रशिक्षण संस्थान ईसाई द्वारा चलाए जाते है।

विकलांगों की शिक्षा के अंतर्गत नेत्रहीनों के लिए 1966 में स्थापना की गई थी। संत माइकल स्कूल कोर ब्लांइड राँची में SPG चर्च द्वारा चलाया जा रहा है। यह प्रथम ऐसा स्कूल है जो 1898 में स्थापित किया गया था।

वर्तमान में झारखण्ड में शिक्षा एवं साक्षरता की स्थिति :

झारखण्ड राज्य के प्रत्येक प्रखण्ड में एक–एक सरकारी विद्यालय को 2017–18 में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना है।

झारखण्ड शिक्षा परियोजना के प्रशसी पदाधिकारी मुकेश कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। परियोजना निदेशक ने कहा है कि सरकार ने प्रत्येक प्रखण्ड में एक–एक सरकारी विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकासित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विद्यालय का चयन किया जाना है।

PTEC GURWA, STUDY MATERIAL

विद्यालय के चयन के लिए सरकार की ओर से मापदण्ड निर्धारित कर दिया गया है। इससे शर्त यह है कि विद्यालय प्रखण्ड मुख्यालय या उसके आस–पास अवस्थित हो, विद्यालय में पठन–पाठन के लिए पूर्व से ही पर्याप्त वर्ग कक्ष उपलब्ध हो, विद्यालय के भवन की स्थिति ठीक हो, विद्यालय के भवन की स्थिति ठीक हो, विद्यालय चयन के लिए आवश्यक है कि कम–से–कम 400 बच्चे नामांकित हो, बच्चों की उपस्थिति ठीक हो विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक हो, खेल का मैदान है, विद्यालय तक पहुँचने के लिए पथ, शौचालय, पेयजल, विद्युत की अच्छी व्यवस्था हो।

इसके अलावा विद्यालय को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए भविष्य में आधारभूत संरचना निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि का उपलब्ध होना आवश्यक है, जो विद्यालय इन शर्तो को पूरा करेंगे उसे ही चयनित करने को कहा जायगा। विद्यालय चयन के बाद 16 जनवरी तक चयनित विद्यालयों के नाम झारखण्ड शिक्षा परियोजना को भेजने के लिए कहा गया है। साथ ही सभी क्षेत्रीय उपशिक्षा निदेशक, जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक से लेकर प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सभी को एक–एक विद्यालय गोद लेने का निर्देश दिया गया था विभागीय निर्देश के अनुरूप अधिकारियों ने विद्यालय को गोद भी लिया परन्तु अधिकतर पदाधिकारियों में विभागीय निर्देश के अनुरूप मॉडल स्कूल के रूप में विकसित नहीं किया। कुछ पदाधिकारियों ने तो केवल विद्यालय का चयन करके छोड़ दिया।

झारखण्ड शिक्षा और साक्षरता दर :

झारखण्ड शिक्षा राज्य बोर्डो, विवि और महाविद्यालय के तहत आयोजित परीक्षाओं के आस–पास केन्द्रित है, झारखण्ड मदरसा परीक्षा समीति, झारखण्ड इंटरमेडिएट परीक्षा बोर्ड, झारखण्ड माध्यमिक बोर्ड, विवि और कॉलेजों में झारखण्ड में शिक्षा शामिल है।

झारखण्ड में साक्षरता दर वृद्धि की प्रवृति देखी गई है और 66.41 प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार है। महिला साक्षरता 52.04 प्रतिशत पर है, जबकि उसमें से पुरूष साक्षरता 76.89 प्रतिशत पर खड़ा है।

झारखण्ड में शिक्षा बच्चों को विद्यालय में नामांकन है। जब 5 वर्ष की उम्र में का बच्चा होता है। झारखण्ड में शिक्षा का आधार बनते है जो विद्यालयों, राज्य बोर्ड, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आदि है। यह झारखण्ड में सरकारी विद्यालयों में हिन्दी शिक्षा का माध्यम है। यहाँ स्थानीय भाषा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और उच्च सरकारी विद्यालयों तथा झारखण्ड के शिक्षा विभाग भी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों को भी बढ़ावा दे रहे है।

झारखण्ड मे 5 वर्ष की उम्र में बच्चों का नामांकन शुरू होता है। झारखण्ड में शिक्षा की संभावनाओं में सुधार करने के लिए सरकार ने सभी 14 वर्ष की आयु तक के लिए प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया है। यह एक व्यापक योजना है, जिसे राज्य के हर कोने में प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण हो।

झारखण्ड में शिक्षा योजनाएँ :

1. **विद्यालयी शिक्षा :** इसमें विद्यालयी शिक्षा से संबंधित सभी नीतियों और योजनाओं से संबंधित जानकारियाँ दी जा रही है।

2. **बुनियाद 2013 :** ''अब पढ़ना पक्का है'' राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर बुनियाद 2013 का शुरूआत किया गया है। इस कार्यक्रम से बच्चों में पढ़ने लिखने एवं सामान्य गणित के कौशल का विकास होगा तथा उनकी अवधारणा परिपक्व होगी जिसका इस्तेमाल वे दैनिक जीवन में कर सकेंगे।

शिक्षकों की मदद के लिए बुनियाद से संबंधित सभी जानकारियाँ विशेषकर शिक्षण गतिविधियाँ, प्रयोग विशेष शिक्षण एक कक्षा संचालन की गतिविधियों की जानकारी संकुल स्तरीय प्रशिक्षण में दी गई है। इसके प्रयोग से शिक्षक एवं छात्रों के बीच का वातावरण मनोरंजक बन सकेगा।

PTEC GURWA, SITAGARHA, HAZARIBAG

बुनियाद से संबंधित प्रमुख बाते :

1. विद्यालय में ठहराव एवं उपलब्धि दर को बढ़ाना उन बच्चों की पहचान करना जो पढ़ने–लिखने एवं गणितीय क्रियाओं में पिछड़ जाते है और पिछड़ने वाले बच्चों में सरल रूप से पढ़ने–लिखने एवं गणितीय कुशलता विकसित करना साथ ही ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें बच्चे पारस्परिक रूप से समूह में तथा स्वाध्याय से सीख सकें।

2. शिक्षक BRC, CRC तथा जला स्तर के कर्मियों को सक्षम बनाना ताकि वे कार्यक्रम के क्रियान्वयन में खुलकर मदद कर सकें। बच्चों के अधिगम स्तर को सतत रूप से जानने के लिए व्यापक मूल्यांकन करना एवं उसका लेखा–जोखा रखना बच्चों की सीखने की गतिविधियों में समुदाय को शामिल करना।

3. बच्चों को केवल पढ़ना–लिखना ही नहीं सिखाना बल्कि इस योग्य बनाना जिससे वे अपने पढ़ाई–लिखाई का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सके एवं लक्ष्य तथा गतिविधियाँ निर्धारित कर सकें।

PTEC GURWA, SITAGARHA, HAZARIBAG

शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के तरीके, सरकार द्वारा किए गए प्रयास एवं सुझाव :

भारत में शिक्षकों की प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि उनमें व्यवसायिकता का विकास किया जाय। प्राचीन समय में शिक्षक अपने व्यक्तिगत प्रयास अपनी प्रतिष्ठा, उच्च आदर्श एवं चरित्र से शिक्षण का कार्य करते थे और समाज को लाभान्वित करते थे। उस समय शिक्षकें और उनके गुरूकूलों न तो घनिष्ट संबंध थे और न ही उनके कोई संघ हुआ करते थे जैसे आज कल है। शिक्षकों की संस्था कम हो रही है।

आधुनिक युग में शिक्षा सभी देशों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्रियाकलाप बन गई है। भारत में आज शिक्षा पर कई हजार करोड़ रूपये प्रतिवर्ष सरकार द्वारा और कई करोड़ अन्य गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा व्यय किए जाते है। आज यहाँ लाखों पाठशालाएँ है और लाख से भी ज्यादा शिक्षक है जो भारत की सेना से भी अधिक है। लेकिन सभी शिक्षक अपने कार्य को करेन के लिए पूर्णतः तैयार नहीं हुए। उनमें कई न्यूनताएँ है उनमें वर्तमान आधुनिक युग और तीजी से आ रहे भविष्य की चुनौतियों को समझने और उनके संदर्भ में कुशलता पूर्वक कार्य करने की क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता गंभीरतापूर्वक महसूस की जा रही है।

अब किसी भी शिक्षक को स्वयं अपने प्रयास से ही विकास कर पाना न तो संभव है और न उचित 1 वर्तमान विकास उन्युक्त भारतीय समाज में शिक्षकों को व्यवसायिक कार्याकर्ता बनाया जाना आवश्यक है। इसके लिए सरकारों समाज की अन्य संस्थाओं व संगठनों तथा शिक्षक संघ को बहुत सक्रिया भूमिकाएँ निभाना आवश्यक है। इसको अनुभव करते हुए निम्न प्रयास किए जा रहे है।

1. सरकार ने शिक्षकों के उत्तम वेतनमान निर्धारित किए है। उन्हें सभी सरकारी शालाओं औश्र सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं में लागू किया गया है। उसे शिक्षकों की आर्थिक दशा बहुत सुधरी है और अब शिक्षण व्यवसाय के तरफ बहुत नवयुवक और नवयुवतियों आ रही है।
2. शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कियागया है। इस व्यवसाय मे आने के लिए उन्हें उतम शैक्षणिक रिकोर्ड रखना और T.T. प्राप्त करना आवश्यक बनाया गया है।
3. शिक्षक प्रशिक्षाणार्थियों में प्रवेश पाने के लिए उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होकर मेरिट लिस्ट मे आना आवश्यक होता है मेरिट लिस्ट मे आना आवश्यक होता है, अथवा 60 हजार से 1–1.5 लाख रूपये देकर मैनेजमेंट कोर्स की सीट पर भर्ती होना पड़ता है।
4. नियुक्ति के लिए शिक्षकों का चुनाव राज्य के सेवा आयोग या किसी अन्य जिम्मेदार संस्था के द्वारा किया जाता है।
5. सेवाकाल में सरकारी शिक्षकों को अपनी योग्यताएँ बढ़ाने के लिए अध्ययन अवकाश पूर्ण वेतन पर दिया जाता है।
6. सेवाकाल में सरकारी शिक्षकों को निजी रूप से पढ़ने के लिए स्वीकृति दी जाती है ताकि वे अपनी योग्यताओं को बढ़ा सके।
7. सभी सरकारी और गैर सरकारी शाखाओं के कार्यरत शिक्षक निजी तौर पर B.Ed डिग्री प्राप्त कर सकते है। इंदिरा गाँधी विवि और कुछ अन्य विवि ऐसा करा रहे है।
8. सेवा.रत. शिक्षकेां की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर NCERT राज्य स्तर पर SCERT जिला स्तर पर DIET तथा कई प्रकार के कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते है।
9. कई कुशल शिक्षकों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नकद धन राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है।
10. शिक्षकों को मौलिक लेख, कार्य अनुसंधान तथा पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

PTEC GURWA, SITAMARHI, HAZARIBAG

11. शिक्षकों का प्रशिक्षण उतम और विश्व की आधुनिक गतिविधियों और प्रतिमानो के अनुसार हो सके तथा प्रशिक्षण संस्थाओं पर गुणात्मक नियंत्रण बनाए रखा जा सके इसके लिए NCTE की स्थापना की गई है।

12. NCERT शिक्षकों के लिए शिक्षक मार्ग दर्शिकाएँ तैयार करती है, उनको सेवाकल में पुनः प्रशिक्षण प्रदान करती है और उनके लिए समय–समय पर सेमीनार तथा वर्कशॉप कार्यकशाला आयोजित करती है। उनके उतम लेखों पर प्रतिवर्ष पुरस्कार प्रदान करती है।

13. कई विवि के शिक्षा विभागों को भारत सरकार ने केन्द्र बनाया है। वहाँ शिक्षकों की विभिन्न विषयों में लघु प्रशिक्षण और अवकाश कालीन कार्यक्रम प्रतिवर्ष चलाते है।

14. बड़े नगरों के नगर पालिका भी अनी शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष कार्यक्रम आयोजित करते है। (Inservice orientation programe)

15. Internet पर ऐसे कई Website भारत सरकार तथा अन्य संस्थाओं ने बनाया है, जिनसे जिज्ञासु शिक्षक भारत में शिक्षा के अनुनिकतम जानकारी प्राप्त कर सकते है।

16. शिक्षकों व्यवसायिक अनुभव बढ़ाने के लिए विदेशों (विशेषकार England) में उच्च अध्ययन के लिए जाने दिया जा रहा है। वहाँ कार्यक्रम के अंतर्गत वहाँ जाकर उच्च अध्ययन कर सकते है। (Common with educational Phylosip)

17. 1986 में शिक्षा की नई नीति बनाई गई कि उसको कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार ने कई कार्यक्रम कार्यान्वित किए थे।

18. NCERT, NCTE, NIOS द्वारा शैक्षिक पत्रिकाएँ प्रकाशित की जा रही है जिनमें प्रकाशित लेखों व सूचनाओं से शिक्षकों को बहुत महत्वापूर्ण जानकारियों प्राप्त हो सकती है। उन्हें अपनी पाठशालाओं में मंगवाना चाहिए।

19. उच्च कुछ उत्तम शिक्षण संगठन अपने सदस्यों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे है, लेकिन उनकी संख्या और कार्यक्षेत्र काफी कम है।

20. NCERT, SCERT और DIATE ये शाला शिक्षकों को कार्य अनुसंधान करने को प्रोत्साहित करते है, जिनसे उनकी कक्षाओं में आने वाली शैक्षिक समस्याओं का समुचित समाधान उन्हीं के द्वारा किया जा सके।

21. सभी प्रकार की पाठशालाओं की शैक्षिक गुणवता ठीक बनी रहे, इसके लिए सभी राज्य सरकारें उन पर अपने शिक्षा विभागों के द्वारा नियंत्रण रखने का प्रयास करती है।

22. कुछ राज्यों में (राजस्थान) शिक्षकों द्वारा लिखी गई मौलिक पुस्तकों पर उन्हें पुरस्कार दिए जाते है।

23. शिक्षकों को अपने विचारों को पत्र पत्रिकाओं में छपवाने की स्वतंत्रता है।

24. शिक्षकों के कल्याण के लिए कुछ कार्यक्रम चल रहे है जैसे घर बनाने के लिए ऋण देना। भ्रमण के लिए जाने के लिए LTC योजना, कुछ पहाड़ी स्थानों पर ठहरने के लिए Teacher's Home बनाए गए है।

25. Operation Black board और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शालाओं में सुविधाएँ बढ़ाई गई है।

26. शिक्षकों को विभागीय जुल्मों से बचाने के लिए अदालतों में कई म.पूर्व निर्णय उनके पक्ष में लिए है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि आज कल भारत में शाखा शिक्षकों का समुचित व्यवसायिक विकास करने का भर्षक प्रयास किया जा रहा है। यदि शिक्षा जगत में व्याप्त तानाशाही, पक्षपात, भ्रष्टाचार और शिथिलता को समाप्त किया जा सके तो शिक्षको और उनके व्यवसाय की स्थिति शीघ्र ही सुधर सकती है।

PTEC GURWA, SITAGARHA, HAZARIBAG